

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मध्य शिवाजी

उपलब्ध  
लाभ  
...

14-9-21

पन्नावली येथे इश. वकील प्रार्थे उपस्थित  
वास्तु वेदम प्राप्त झाले आहे. वास्तु वेद  
वास्तु वेदम प्राप्त झाले आहे. पन्नावली 22-9-21  
को येथे आहे।  
ॐ.

22-9-21

पन्नावली येथे इश. वकील प्रार्थे उपस्थित  
वकील प्रार्थे की एक प्रतीक वेदम सुनी  
गई. गैराने वेदम प्रार्थे के आवेपत्ताने कथन  
किया कि वाद वास्तु कार्य क्रम श. न. 606  
शुक्र 0.22 एम 22 वाके ग्राम वाक्यभेज पत्रात  
मण्डल वसवडा तहसील इन्डगाठ ये स्थित वी उमर  
श. न. राजाश रिगाडी जमावदी मे अ. प्रार्थे श. 1  
लाभ के नाम अंकित है किन्तु उसमी एशियत  
स्वातेदार कृषक की नही है उमर आयगी पर  
40-45 वर्षी से प्रार्थे का कर्जा कायम चला  
आ रहा है प्रार्थे कर्जा मुखलाफना के आधारपर  
प्रार्थे स्वातेदार कृषक मी होने से वास्तु श्रम  
श. 606 शुक्र 0.22 एम 22 आयगी का प्रार्थे  
स्वातेदारी घोषणा कराने का अधिकार है।  
प्रतिवादी क्रम 1 को उमर क्रम आवदन इश  
थी तथा वर्षभर मे राजाश रिगाडी जमावदी  
मे गैरस्वातेदार की एशियत से वर्ज है।  
प्रतिपक्षी क्रम 1 का उमर क्रम पर कमी  
कर्जा नही रहा है अ. प्रार्थे क्रम 1 गैरस्वातेदारी  
से स्वातेदारी मिलने ही उमर आयगी को  
विक्रय करने पर अग्रदा वी और अह मे  
निवेदन किया कि अग्रश्रीम को जे अ. प्रार्थे  
निवेदना से प्राप्त करवाया जावे।  
हमारे बाय प्रार्थे के आवेपत्ताने की एकपक्षीय  
वेदम पर प्रजन किया गया एव पन्नावली का  
दामपूरुत अवलोकन किया गया। पन्नावली पर



उपरोक्त जमाने के मुताबिक आज्ञा सं. 1  
साथ ही अग्रज भूखण्डाल जमानेदार की विशेष  
से दर्ज बाबत रिपोर्ट की किन्तु अपाथ का  
बाद तामील सम्भन कोर्ट स्वनात्मक जमाने  
पेश नहीं किया। जिससे कबजे कायद की  
स्थिति स्पष्ट नहीं होने से हम इस निष्पत्ती  
पर पहुचते हैं कि कबजे नहीं भूल बाद के  
निर्णय तक उभयपक्ष को मीठे एवं रिपोर्ट  
की यथास्थिति बनायी रखने पावत किया  
जावे। जाना उचित समझते हैं।

अतः पाथ का पार्श्व पत्र अंगीकृत  
स्वीकार किया जाता है कि ता फैसला  
भूल बाद स्वसय नम्बर 606 रुका 0.22 रुका  
धारी भूमी वाके काकरा भेज पटवार मंडल  
बसवाडा तहसील इन्सुल की मीठे एवं रिपोर्ट  
की यथास्थिति उभयपक्ष बनाये रखे।  
पत्तवली फैसल भुयार छोकर अलग भूल  
वाद रहे।

31  
उपखण्ड अधिकारी  
साखेरी जिला दुबई